पत्र सूचना शाखा,
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

कानून व्यवस्था की कमियों को न दूर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें जायेंगे : मुख्यमंत्री

पेशेवर अपराधियों, अपहरणकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए : मायावती

जनता कानून अपने हाथ में न ले, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से दायित्व निभाए : मुख्यमंत्री

कानून व्यवस्था में अगली बैठक तक और सुधार न आने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी : मुख्यमंत्री

जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आई0जी0, डी0आई0जी0 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में बैठने के निर्देश

लखनऊ : 11 जून, 2008

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने आज यहां कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में जमीनी हकीकत और शासन को प्राप्त रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा है कि अगली समीक्षा बैठक में खामियां दूर न होने पर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार कानून व्यवस्था में सुधार के लिये दिशा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कुछ जिलों की रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने इन जिलों के अधिकारियों को अपनी कमियों को दूर करने के लिये एक माह का मौका दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी तरह की लापरवाही न बरतें, जिससे जनता कानून अपने हाथ न ले सके।

मुख्यमंत्री विधान भवन स्थित तिलक हाल में आई0जी0, डी0आई0जी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ मासिक कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद मण्डलवार कानून व्यवस्था की समीक्षा प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक करेंगे। अच्छे कार्य करने वालों की जहां सराहना होगी, वहीं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, उनको विशेष निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि शासन को प्रमुख सचिव एवं को–आर्डिनेटर से प्राप्त रिपोर्ट में ज्यादा कमियां पाई गई हैं। शासन के अधिकारियों ने जो फील्ड में देखा, वह स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले की बैठकों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कमी दृष्टिगोचर हुई है, यह अच्छी स्थिति नहीं है।

सुश्री मायावती ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाये जाने के लिये निर्देश देते हुये कहा कि हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित करने के लिये अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था चाहती है। इसके लिये पुलिस प्रशासन को पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता कानून अपने हाथ में तीन परिस्थितियों में लेती है, एक– जब पुलिस के द्वारा लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही की जाती है,दो– जब पुलिस बिक जाती है तथा तीसरा जब वह राजनीतिक दबाव में काम करती है। उन्होंने कहा कि विगत में पुलिस की लापरवाही एवं पीडि़त को न्याय देने में उदासीनता के कारण लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया, जिससे सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कतई नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि जनता कानून को अपने हाथ में तब लेती है, जब उसे न्याय नहीं मिलता है, समय से एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होती है और पुलिस दबंगों के साथ मिल जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारतीतत्व राजनीतिक कारणों से कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करते हैं। विरोधी दलों के इशारे पर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में ऐसा नहीं होने पायेगा।

मुख्य मंत्री ने कहा कि किसी भी घटना की एफ0आई0आर0 लिखने में आना–कानी से भी कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। जनता में असन्तोष तब पैदा होता है, जब गम्भीर घटना की रिपोर्ट मामूली धाराओं में दर्ज की जाती है और पीड़ित पक्ष को परेशान किया जाता है। उन्होंने महाराजगंज जिले में हाल में हुई बलात्कार की घटना, थाने में तोड़–फोड़ तथा एक पुलिस कर्मी की हत्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा कि यदि पीड़ित पक्ष की सुनवाई समय से हुई होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई होती, तो इस तरह की घटना न होती। उन्होंने इस घटना में लीपा–पोती, लापरवाही के लिये दोषी थानाध्यक्ष तथा महिला चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये बर्खास्त करके सख्त से सख्त धाराओं में जेल भेजने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने आई0जी0 / डी0आई0जी0 / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि थाने में भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा पुलिस की लापरवाही खत्म करने के लिये पुख्ता व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि थानों में तैनाती के लिये किसी भी तरह की सौदेबाजी अक्षम्य है। तैनाती के लिये थानों को श्रेणियों में नहीं बांटा जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि थाने बिकेंगे, तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने पुलिस महकमें में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तत्काल प्रभावी अंकुश लगाने के लिये प्रमुख सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक को भ्रमण करके इस स्थिति को तत्काल सुधारने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने आचरण में सुधार लायें और साफ–सुथरी छवि का उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा कि जिस उद्‌देश्य से वे पुलिस सेवा में आये हैं, उसके प्रति समर्पित रहें।

सुश्री मायावती ने कहा कि इस सरकार में अधिकारियों की क्षमता एवं योग्यता के आधार पर तैनाती की जाती है तथा उन्हें कानून का राज स्थापित करने के कार्य में किसी भी प्रकार के राजनैतिक हस्तक्षेप को समाप्त किया गया है। उन्होंने फर्रूखाबाद जिले में दो नाबालिग छात्रों को गुण्डा एक्ट में जेल भेजने की घटना पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक को इसकी पुनरावृत्ति न किये जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस बार एस0पी0 को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। अगली बार इस तरह की घटना होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करते समय मानवीय पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने डी0आई0जी0 मेरठ एवं आई0जी0 जोन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय राजधानी से लगा क्षेत्र होने के कारण अपराधियों, अपहरणकर्ताओ पर कड़ी नजर रखें।

मुख्यमंत्री ने पेशेवर अपराधियों, अपहरणकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं में पुलिस की भी मिली भगत रहती है। ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने पिछले दिनों गाजियाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों से गायब हुये बच्चों के बारे में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा आई0जी0 डी0आई0जी को इसके सम्बंध में रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने ट्रेनों में लूटपाट की घटनाओं के अलावा चोरी, डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को पेशेवर अपराधी अंजाम देते हैं। जहां ऐसे अपराधी पकड़े नहीं जायेंगे, वहां यह माना जायेगा कि उनको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है।

सुश्री मायावती ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुये कहा कि समाज के कमजोर तबके के लोगों पर जुल्म–ज्यादती नहीं होनी चाहिये, जिनके साथ सही मायने में उत्पीड़न होता है, उनमें एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि दुर्भावनावश एवं किसी राजनीतिक कारण से किसी के ऊपर इस अधिनियम का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पर्वों तथा धार्मिक त्योहारों के समय आतंकवादी घटनायें होने की आशंका रहती है। ऐसे मौके पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के जन–प्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार का पालन करते हुये उनकी बातों पर पूरी सुनवाई की जानी चाहिये। इस सम्बध में शासन को किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिये। उन्होंने जन समस्याओं की सुनवाई के लिये डी0आई0जी0 एवं आई0जी0 को भी अपने कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक बैठने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस व थाना दिवस में जनसमस्याओं की सुनवाई प्रभावी ढंग से होनी चाहिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बैठक में सिर्फ आई0 जी0 जोन एवं डी0आई0जी0 रेंज ही समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को नहीं बुलाया जायेगा। इसी प्रकार विकास कार्यों की बैठक में मण्डलायुक्त के साथ शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी ही भाग लेंगे। समीक्षा के दौरान जिस जिले के डी0एम0/एस0पी0 की गम्भीर शिकायतें प्राप्त होंगी, उन्हें लखनऊ बुलाकर पहले सचेत किया जायेगा और सुधार न आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुधारने में सभी अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिससे प्रदेश की जनता को और बेहतर माहौल दिया जा सके।

बैठक में मन्त्रिमंडलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री ए0के0 गुप्त, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, मुख्य मंत्री के सभी प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक श्री विक्रम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

————————

पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

धर्मराज निषाद मंत्रिमण्डल में शामिल

लखनऊ : 11 जून, 2008

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के एक संक्षिप्त विस्तार में आज यहां महामहिम राज्यपाल श्री टी0वी0 राजेस्वर ने मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की मौजूदगी में राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में श्री धर्मराज निषाद को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि श्री धर्मराज निषाद अम्बेडकर नगर जनपद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं।

शपथग्रहण कार्यक्रम का संचालन मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने किया।

इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर, मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्य, सांसद, विधायक के अलावा मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री नेतराम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

——————

पत्र सूचना शाखा,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश

जिला पंचायत, लखनऊ में कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब का उद्‍घाटन कल

लखनऊ : 11 जून, 2008

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री वी0एन0 गर्ग कल 12 जून को पूर्वान्ह 9:30 बजे जिला पंचायत, लखनऊ (राजस्व परिषद के निकट, कैसरबाग) में कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब का उद्‍घाटन करेंगे।

यह जानकारी उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री डी0एस0 श्रीवास्तव ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस कम्प्यूटर लैब की स्थापना से शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को कम्प्यूटर का ज्ञान सुगमता से मिल सकेगा और उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता में व्यापक सुधार आयेगा। उन्होंने बताया कि शासकीय कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के उद्‍देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और ई–गवर्नेंस प्रशिक्षण के लिये शासन द्वारा प्रदेश के सभी मण्डलीय मुख्यालयों एवं जिलों में कम्प्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये ***'कम्प्यूटर लैब'*** के रूप में एक वृहद् इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में लखनऊ के जिला पंचायत में यह लैब स्थापित की जा रही है। इससे सरकारी कर्मियों के साथ साथ आम जनता को भी लाभ होगा।

————————